23.12.2025 वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 वकील उपस्थित, 1 शेष प्रतिवादी ~~[illegible]~~ वकील प्रतिवादी कायम जवाबी नहीं करवाना चाहते है, जो प्रतिवादी कायम बंद की जाती है। उभय-पक्ष अधिवक्ताओं की ~~[illegible]~~ सुनी गई। दौराने ~~[illegible]~~ वकील वादी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादी का त्रुटिवश नाम ~~[illegible]~~ राजाराम दर्ज हो रखा है, जबकि वादी का वास्तविक नाम रतनाराम है। लगातार

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अशुद्ध नाम होने के कारण वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध नाम रऊराम के स्थान पर रावतराम दर्ज किया जावे। वकील प्रतिवादी ने मौखिक कथन निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी को आपत्ति नहीं है।

हमने उभय-पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। विदित पाया कि वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में वादी का नाम रऊराम दर्ज हो रखा है, जो कि वादी अशुद्ध नाम होना बताया है जबकि वादी के नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात यथा- प्रदर्श 03 A- आधार कार्ड, प्रदर्श 4 A - वोटर कार्ड प्रति, प्रदर्श 05 A- बैंक डायरी प्रति, प्रदर्श 6 A - परिवार राशन कार्ड प्रति, प्रदर्श 7A - दी बाड़मेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. में वादी का नाम रावतराम अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि वादी का वास्तविक नाम रावतराम है और वादी का वादग्रस्त भूमि में अशुद्ध नाम दर्ज हो रखा है, जो वादी दुरुस्ती करवाने का हकदार प्रतीत होता है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | वादी की माता प्रतिवादी संख्या 02 ने अपने हलफनामी बयान में भी स्वीकार किया है, कि वादी का वास्तविक नाम रावताराम है तथा दुरुस्ती करवाने पर सहमति दी गई है। तथा संबंधित ग्राम पंचायत भीमरलाई ने भी प्रमाण-पत्र जारी कर वादी का नाम रावताराम होना उल्लेखित किया है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत वादी अपना वाद दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों से साबित करने में सफल रहा है।<br><br>लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम-स्तर की खाते तहसील पचपदरा की खेत खसरा नम्बर 248/110 आदि में वादी का अशुद्ध नाम रावताराम पुत्र चेनाराम के स्थान पर शुद्ध नाम रावताराम पुत्र चेनाराम दुरुस्त कि० जाने के आदेश दि० जाते हैं। शेष यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार रेकर्ड में अमल-दरामद किया जाना सुनिश्चित करें।<br><br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>सहायक कलेक्टर<br>(S.D.O.) बालोतरा | |

डिक्री–पर्चा

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 11/2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/38

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| रावताराम पुत्र चैनाराम जाति प्रजापत निवासी खारकी नाड़ी तहसील पचपदरा | | 1.विरधाराम पुत्र चैनाराम जाति प्रजापत निवासी खारकी नाड़ी तहसील पचपदरा<br>2.मीरोदेवी पत्नि चैनाराम जाति प्रजापत निवासी खारकी नाड़ी तहसील पचपदरा<br>3.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा |

राजस्व वाद बाबतः–88,91 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बरः– 11/2025

निर्णय दिनांक :–23.12.2025

वादी की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री वीराराम प्रजापत की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 23.12.2025 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**–वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खार की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 248/110 भूमि मे वादी का अशुद्व नाम राऊराम पुत्र चैनाराम के स्थान पर शुद्व नाम रावताराम पुत्र चैनाराम दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किए जाने के आदेश दिए जाते है।

आज तारीख 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

## वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादीगण | |
|---|---|---|---|
| | रूपया | | रूपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | 1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | —— | 2.अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | 3.प्लीडर की फीस | |
| 4...........रूपये पर प्लीडर की फीस | | 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | | 5.आदेशिका की तामील | ——— |
| 6.कमिश्नर की फीस | | 6.कमिश्नर की फीस | |
| 7.आदेशिका की तामील | —— | | |
| जोड़ | – | जोड़ | ——— |

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा